भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4583

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

औद्योगिक संगठनों में कार्यरत श्रमिक

4583. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि तक विभिन्न औद्योगिक संगठनों में कार्यरत श्रमिकों/कामगारों की राज्य-वार और कंपनी-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त कामगारों की सुरक्षा और कल्याण हेतु कोई योजना तैयार की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने कामगार लाभान्वित हुए हैं;
(घ) क्या देश के विभिन्न संगठनों में कामगारों का लगातार शोषण हो रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी हां। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली) द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत कामगारों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-I पर संलग्न है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित कामगारों की व्यवसायजनित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दों का ध्यान रखने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 नामक विस्तृत विधान बनाया है। स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण के संबंध में, जोखिमपूर्ण प्रक्रिया, कार्य के घंटों, दाण्डिक प्रावधानों आदि के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत विस्तृत उपबंध हैं तथा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्य

कारखाना नियम बनाने के लिए सशक्त हैं तथा इनका प्रवर्तन संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ): कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों की व्यवसायजनित सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित कारखाना अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षणालय (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) के माध्यम से किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, ऐसे कारखानों के अधिष्ठाता और प्रबंधक के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान विद्यमान हैं। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारें कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके अधीन बनाए गए राज्य कारखाना नियमों के अधीन पंजीकृत कारखानों में अध्याय-III:स्वास्थ्य, अध्याय-IV: सुरक्षा तथा अध्याय-IVक: जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु नियमित निरीक्षण कराकर सुरक्षित कार्य-दशाओं पर नियमित निगरानी रखते हैं।

*

*****

अनुबंध-I

औद्योगिक संगठनों में कार्यरत श्रमिकों के संबंध में दिनांक 22.07.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4583 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में नियोजन का ब्यौरा (2015-2017)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2015	2016	2017
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	55408	4738	5396
2	आंध्र प्रदेश	786989	852624	873281
3	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*
4	असम	41505	243821	272444
5	बिहार	212411	157200	184178
6	चंडीगढ़	5216	4283	3987
7	छत्तीसगढ़	323725	342087	352796
8	दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली	190640	192240	190000
9	दिल्ली	397375	406008	412708
10	गोवा	83676	86961	89748
11	गुजरात	1583888	1665065	1693584
12	हरियाणा	52726	790338	935605
13	हिमाचल प्रदेश	321382	323812	329492
14	जम्मू और कश्मीर	66695	69336	69956
15	झारखंड	265163	299011	305101
16	कर्नाटक	1564537	1681160	1692738
17	केरल	602296	617726	610098
18	लक्षद्वीप	*	*	*
19	मध्य प्रदेश	355579	363634	लागू नहीं
20	महाराष्ट्र	2424044	2341390	2364784
21	मणिपुर	13939	13649	लागू नहीं
22	मेघालय	9692	10019	7930
23	मिजोरम	86	98	139
24	नागालैंड	5673	12261	12496
25	ओडिशा	335202	342440	356693
26	पुडुचेरी	85263	85642	85956
27	पंजाब	652595	664766	679807
28	राजस्थान	469249	484159	511572
29	सिक्किम	*	*	*
30	तमिलनाडु	1985686	1766889	1660603
31	तेलंगाना	709937	744018	653457
32	त्रिपुरा	59130	54147	56119
33	उत्तर प्रदेश	1196776	1212062	1224289
34	उत्तराखंड	392689	396759	376569
35	पश्चिम बंगाल	1125374	1148511	लागू नहीं
कुल		**16374546**	**17376854**	**16011526**

वर्ष 2018 के डेटा उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के संबंधित सीआईएफ/डीआईएसएच से ये डेटा प्राप्त नहीं हुए हैं।

1) **स्रोत**: राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक के साथ पत्राचार के माध्यम से डीजीफासली द्वारा एकत्रित डेटा।

2) *: इस राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में कोई पंजीकृत कारखाने नहीं हैं।

3) **लागू नहीं**: डेटा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा डीजीफासली को प्रस्तुत नहीं किया गया।

******